संख्या-221/2019/1243/22-2-2018-17(127)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2019**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री कुंजीलाल निवासी जनपद-ललितपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25473/प्रोबे0अनु0(2)-199/सला0समिति(एम-09-07-2018) दिनांक 17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री कुंजीलाल जो ग्राम-डोंगरा, थाना-नाराहट जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.1994 की प्रात: लगभग 2:30 बजे कुछ जरूरी कागजात खो जाने के कारण अपनी पत्नी से हुए झगड़े में पत्नी लीला, पुत्री सुमन व पुत्र राकेश की तलवार से हत्या कर फरार हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-33/94 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 27.01.1998 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 22.07.1998 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2018 तक 20 वर्ष 03 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 01 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी आयु दिनांक 25.05.2018 तक 64 वर्ष लगभग है। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया, मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी की आयु-64 वर्ष लगभग है। बंदी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती लाला, पुत्री सुमन व पुत्र राकेश की हत्या कारित करने, शराब व गांजे के नशे का आदि होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई पर संस्तुति नहीं प्रदान की गयी है, इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने आदि के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बाबूलाल पुत्र श्री कुंजीलाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाबूलाल (बन्दी संख्या-4863) पुत्र श्री कुंजीलाल निवासी जनपद-ललितपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-221/2019/1243(1)/22-2-2018 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।